स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
निदेशालय, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायती राज विभाग

आपणी गरिमा आपणो मान
स्वच्छ राजस्थान

प्रथम तल, चौपाल विश्रान्ति गृह, बड़ोदिया बस्ती, (जयपुर जंक्शन के पास), जयपुर 302006
फोन– 0141 2205802 ईमेलः sbmg2018@gmail.com

अति.–आवश्यक

कमांक : एफ 12( )परावि / एसबीएम / BSR Sanitation / 2024–25 / 3022-29 **दिनांक :** 5/2/2025

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद–समस्त।

विषयः– ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु अभियान चलाकर कचरे का निस्तारण कर दृश्यमान स्वच्छता सुनिश्चित करने बाबत्।

स्वच्छता ही सेवा अभियान–2024 (14 सितम्बर, 2024 से 02 अक्टुबर, 2024 तक) अन्तर्गत गांवों में विभिन्न स्थानों पर पुराने कचरे का ढेर, गोबर की रेवड़ी, सड़क के किनारे कचरे का ढेर, विभिन्न स्थानों पर कीचड़, नाली व बड़े नालों का चिन्हिकरण स्वच्छता लक्षित ईकाई (CTU) के माध्यम से कर सफाई की गई थी, परन्तु इसके उपरांत कचरे का निस्तारण पूर्ण रूप से नहीं होने से दृश्यमान स्वच्छता (Visual Cleanliness) प्रदर्शित नहीं हो पा रही है।

इस हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थलों, धार्मिक स्थलों, समस्त नाले एवं नालियां, सड़कों के किनारे पड़ा मलबा, सरकारी संस्थानों जैसे– ग्राम पंचायत, पटवार घर, आँगनवाड़ी एवं विद्यालय के आस–पास के क्षेत्रों में जमा कचरे का निस्तारण कर दृश्यमान स्वच्छता सुनिश्चित की जानी आवश्यक है।

अतः इस हेतु एक बार अभियान चलाकर सफाई कार्य करवाकर दृश्यमान स्वच्छता (Visual Cleanliness) सुनिश्चित करने हेतु अभियान सामाजिक संगठनों, नवयुवकों, एन.जी.ओ., सी.एस.आर., सरकारी कार्मिक / अधिकारी, स्वयं सहायता समूह के सक्रिय सहयोग एवं श्रमदान से दिनांक 05.02.2025 से 25.02.2025 तक अभियान क्रियान्वित किया जायेगा। इस अभियान की सफल क्रियान्विति हेतु निम्न निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें :–

1. एक बारीय सफाई कार्य सर्वप्रथम सामाजिक संगठनों, नवयुवकों, एन.जी.ओ., सी.एस.आर., सरकारी कार्मिक / अधिकारी, स्वयं सहायता समूह के श्रमदान एवं सहयोग से किया जायेगा।
2. ग्राम पंचायत द्वारा आवश्यक होने पर विभिन्न योजनाओं तथा निजी आय में उपलब्ध राशि की अपने स्तर पर कार्ययोजना तैयार कर आवश्यक स्वीकृतियां जारी कर आर.टी.पी.पी. नियमों के अनुसार कार्य किया जायेगा।
3. अभियान अन्तर्गत ग्राम पंचायत के समस्त गांवों में सम्पूर्ण कचरे की सफाई करने के आशय का प्रमाण–पत्र सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा विकास अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।
4. विकास अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायतों में किये गये सफाई कार्य का क्रॉस वेरीफिकेशन करवाकर प्रमाण–पत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद को प्रस्तुत किया जायेगा।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद द्वारा रैण्डमली क्रॉस वेरीफिकेशन करवाकर दिनांक 28.02.2025 तक जिला स्तरीय प्रमाण–पत्र निदेशालय को भिजवाया जायेगा।
6. ब्लॉक स्तर एवं जिला स्तर से सफाई कार्य की प्रतिदिन समीक्षा की जावेगी।
7. स्वच्छता कार्य सम्पादन के दौरान श्रमिकों द्वारा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित किया जावें।
8. प्रतिदिन किये गये समस्त सफाई कार्यों की फोटोग्राफ्स एवं वीडियो सुरक्षित रखी जावे तथा ई–पंचायत पोर्टल पर अपलोड किये जावें।

Signature valid
Digitally signed by Jogaram
Designation : Secretary To Government
Date: 2025.02.05 17:06:10 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
निदेशालय, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायती राज विभाग

प्रथम तल, चौपाल विश्रान्ति गृह, बड़ोदिया बस्ती, (जयुपर जंक्शन के पास), जयपुर 302006
फोन– 0141 2205802 ईमेलः sbmg2018@gmail.com

अतः उक्त निर्देशों की पालना करते हुए निर्धारित समय अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में एक बार सफाई कार्य करवाकर दृश्यमान स्वच्छता (Visual Cleanliness) सुनिश्चित करने का श्रम करें।

(डॉ. जोगाराम)
शासन सचिव एवं आयुक्त
पंचायती राज विभाग

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ठ सहायक, मा. मंत्री महोदय, पंचायतीराज विभाग।
2. विशिष्ठ सहायक, मा. राज्य मंत्री महोदय, पंचायतीराज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, जिला – समस्त।
5. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायती राज), जिला परिषद–समस्त।
6. जिला परियोजना समन्वयक / प्रभारी अधिकारी, SBMG जिला परिषद– समस्त।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति–समस्त।

Signature valid
Digitally signed by Joga Ram
Designation: Secretary To Government
Date: 2025.02.05 07:06:10 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13384378